

मध्यप्रदेश विधान सभा



मार्च, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2009 (फाल्गुन 26, 1930)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अनूप मिश्रा, ऊर्जा मंत्री -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008,

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008,

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

- (i) अधिसूचना क्रमांक 2261-म.प्र.विनिआ 2008, दिनांक 22 अक्टूबर, 2008,
- (ii) अधिसूचना क्रमांक 1580-म.प्र.विनिआ - 2008, दिनांक 18 जुलाई, 2008,
- (iii) अधिसूचना क्रमांक 1689-म.प्र.विनिआ - 2008, दिनांक 4 अगस्त, 2008,
- (iv) अधिसूचना क्रमांक 1717-विनिआ - 2008, दिनांक 6 अगस्त, 2008,
- (v) अधिसूचना क्रमांक 2323-म.प्र.विनिआ - 2008, दिनांक 31 अक्टूबर, 2008,
- (vi) अधिसूचना क्रमांक 2478-म.प्र.विनिआ - 2008, दिनांक 11 नवम्बर, 2008,
- (vii) अधिसूचना क्रमांक 2754-म.प्र.विनिआ - 2008, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008,
- (viii) अधिसूचना क्रमांक 2778-म.प्र.विनिआ - 08, दिनांक 26 दिसम्बर, 2008,
- (ix) अधिसूचना क्रमांक 75-म.प्र.विनिआ - 2009, दिनांक 7 जनवरी, 2009,
- (x) अधिसूचना क्रमांक एफ-3-20-1998 - तेरह, दिनांक 15 जनवरी, 2009, तथा
- (xi) अधिसूचना क्रमांक 128-म.प्र.विनिआ - 09, दिनांक 16 जनवरी, 2009,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री खनिज साधन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को अनुमति देने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले में जिला बीमारी सहायता निधि की राशि का बजट आवंटन न किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितता होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीदी पर बोनस राशि कम दिये जाने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

5. वर्ष 2009-2010 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2009-2010 के वार्षिक वित्तीय विवरण का उपस्थापन करेंगे.

6. वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन करेंगे.

7. वर्ष 2008-2009 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2008-2009 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित
समय

1 घन्टा
30 मि.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, श्री विश्वास सारंग, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 16 मार्च, 2009

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.